REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

पाधिकार से पकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 152]
 नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940

 No. 152]
 NEW DELHI FRIDAY, APRIL 13, 2018/ CHAITRA 23, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएसएंडएच/नोटिफिकेशन(03)/एफएसएसएआई-2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2017 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. डर्ड्स/एससीएसएसएंडएच/नोटिफिकेशन(03)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किये गए थे जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 1 मार्च, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:- **1. संक्षित नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पांचवा संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, विनियम 2.8 में,-

(क) उप-विनियम 2.8.4 में (i)पैराग्राफ 1 में ''ईख से निष्पीडन द्वारा या '' शब्दों का लोप किया जायेगा ।

(ii) पैरा 1 के बाद निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

'2. गन्ने की जैगरी या गन्ने का गुड़:

 गन्ने की जैगरी या गन्ने का गुड़: गन्ना गुड़ या गन्ना जैगरी गन्ने (Saccharum officinarum) के निष्पीडन द्वारा निकाले गए रस को उबालकर या उसका प्रसंस्करण करके प्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है। इसमें स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पदार्थ नहीं होगे और शुष्क भार के आधार पर निम्निलिखित विश्लेषक मानकों के अनुरूप होगा :-

क्रम सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
1.	आर्द्रता, भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	7.0
2.	सुक्रोस , भारानुसार प्रतिशत, न्यूनतम	70.0
3.	कुल शर्करा, न्यूनतम	90.0
4.	अपचयन शर्करा, भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	20.0
5.	सल्फेट भस्म , भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	4.0
6.	तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील भस्म , भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	0.5
7.	बाहरी सामग्री और जल में अघुलनशील पदार्थ, भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	2.0

यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निर्मलीकरण के लिए किया जाता है तो वह खाद्य श्रेणी गुणवत्ता का हो।

2. खाद्य सहयोज्य

इन विनियमो के अधीन अनुज्ञा प्राप्त सहयोज्यों का प्रयोग किया जा सकेगा। रंजक नहीं मिलाये जा सकेंगे।

3. स्वच्छता

उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के भाग-2 में विर्निदिष्ट मार्गदर्शक सिद्धातो और अधिनियम के अधीन समय समय पर यथाउपबंध अन्य मार्गदर्शन के अनुसार उत्पाद तैयार और हैंडल किये जायेंगे। 4. संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुरूप होंगे।

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में विर्निदिष्ट सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होगे ।

5. पैकेजिंग और लेबलिंग

उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में विर्निदिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगे।''

(ख) उप-विनियम 2.8.8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्-

''2.8.8 सोडियम सैकरीन (खाद्य श्रेणी)

 सोडियम सैकरीन सफेद क्रिस्टल या सफेद दानेदार पाउडर होता है। यह गंधरहित या हल्की गंध वाला होता है। यह स्वाद में, यहाँ तक कि तनु घोल में भी, बहुत मीठा होता है। इसकी 1 ग्रा मात्रा 1.5 मि.ली. पानी और लगभग 50 मि.ली. एल्कोहल में विलयशील होती है। भारतीय मानक आईएस 5345 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण करने पर यह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पुष्टि करेगी,-

क्रम सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
1.	C7H₄NNaO₃S के रूप में शुद्धता, 120ºC पर 4 घंटों तक सुखाने के बाद, द्रव्यमान	99.0
	के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	
2.	आर्द्रता, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	15.0
3.	अम्लता और क्षारीयता	परीक्षण में खरा
		उतरने हेतु
4.	बेंजोएट और सैलीसाइलेट	परीक्षण में खरा
		उतरने हेतु
5.	तुरत कार्बनीकरणीय पदार्थ	परीक्षण में खरा
		उतरने हेतु
6.	टोल्यूइन सल्फोनेमाइड, पी पी एम्, अधिकतम	25.0

2. स्वच्छता

उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के भाग-II में उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धातो और अधिनियम के अधीन समय समय पर उपलब्ध अन्य मार्गदर्शन के अनुसार तैयार और हैंडल किये जायेंगे।

3. संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुरूप होंगे।

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में दी गई सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होगे।

4. पैकेजिंग और लेबलिंग

उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होगे।''

(ग) उप-विनियम 2.8.11 के पश्चात निम्नलिखित उप -विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा , अर्थात्,-

''2.8.12 कैल्शियम सैकरीन (खाद्य श्रेणी)

 कैल्शियम सैकरीन सफेद क्रिस्टल या सफेद दानेदार पाउडर होता है। यह गंधरहित या हल्की गंध वाला होता है। यह स्वाद में, यहाँ तक कि तनु घोल में भी, बहुत मीठा होता है। इसकी 1 ग्रा मात्रा 1.5 मि.ली. पानी में घुलनशील है। भारतीय मानक आईएस 5345 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण करने पर यह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पुष्टि करेगी,-

क्रम सं0	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
1.	C ₁₄ H ₈ CaN ₂ O ₆ S ₂ के रूप में शुद्धता, शुष्क आधार पर, द्रव्यमान के अनुसार	99.0
	प्रतिशत, न्यूनतम	
2.	मान के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	15.0
3.	बेंजोइक और सैलीसाइक्लिक एसिड	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
4.	तुरत कार्बनीकरणीय पदार्थ	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
5.	टोल्यूइन सल्फोनेमाइड, पी पी एम्, अधिकतम	25.0

2. स्वच्छता

उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4, भाग-2 में उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धातो और अधिनियम के अधीन समय समय पर उपलब्ध अन्य मार्गदर्शन के अनुसार तैयार और हैंडल किये जायेंगे।

3. संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुरूप होंगे।

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में दी गई सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होगे।

4. पैकेजिंग और लेबलिंग

उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होगे।''

> पवन अग्रवाल,मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III ⁄ 4 ⁄ असा. / 27 ⁄ 18]

टिप्पणी:- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 फाइल सं0 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यको द्वारा संशोधित किये गए थे; -

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं.पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- (xiii) फा.सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य/)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- (xv) फा. सं॰ 3-14 एफ़/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- (xvi) फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- (xvii) फा.सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- (xviii) एफ़. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- (xix) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- (xx) फा.सं.11/12विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
- (xxi) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
- (xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;
- (xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;

(xxiv) फा. सं पी./15025/93/2011-पीएफ़ए/एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;

- (xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ़एस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- (xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- (xxvii) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- (xxviii) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफ़एसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- (xxix) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- (xxx) फा. सं. स्टैंसडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017।
- (xxxi) फा. सं. 1/योजक/मानक14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई,2017;
- (xxxii) फा. सं. मानक/एफ़और वीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;
- (xxxiii) फा. सं. 1-94(1)/एफ़एसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- (xxxiv) फा.सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxv) फा. सं मानक/एसपी (पानी और पेय)/अधि. (1)/एफ़एसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;

- (xxxvi) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछ्ली और मछ्ली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- (xxxvii) फा.सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ऐ आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- (xxxviii) फा.सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- (xxxix) फा.सं.मानक/ओऔर एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- (xl) एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- (xli) फा.सं.ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- (xlii) फा.सं. 1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;
- (xliii) एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 20 फरवरी, 2018;
- (xliv) फाइल सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टिफाइड और एंरिच्ड फूड)-रेग/ एफएसएसएआई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- (xlv) फा.सं. 1/शिशु पोषण/मानक/अधिसूचना/भाखासंमाप्रा-2016, तारीख 13 मार्च, 2018 और
- (xlvi) एफ॰ सं॰ 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

F.No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016.—Whereas the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number File No. Stds /SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016 dated the 20th February, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be

affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st March, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) fifth Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.8, (a) in sub-regulation 2.8.4,-

(i) in paragraph 1, the words "pressed out of sugarcane or" shall be omitted;

(ii) after paragraph 1, the following paragraph shall be inserted, namely;-

"2. CANE JAGGERY OR CANE GUR:

(1) Cane Jaggery or Cane Gur: Cane Jaggery or Cane Gur means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of sugarcane (*Saccharum officinarum*). It shall be free from substances unsafe to health and shall confirm to the following analytical standards on dry weight basis:-

Sl. No.	Characteristics	Permissible limit
1.	Moisture, per cent. by mass, Max	7.0
2.	Sucrose, per cent. by mass, Min	70.0
3.	Total Sugars, Min	90.0
4.	Reducing sugars, per cent. by mass, Max	20.0
5.	Sulphate ash, per cent. by mass, Max	4.0
6.	Ash insoluble in dilute hydrochloric acid, per cent. by mass, Max	0.5
7.	Extraneous matter and water insoluble matter, per cent. by mass, Max	2.0

Sodium bicarbonate, if used for clarification purpose, shall be of food grade quality.

(2) Food Additives

Additives permitted under these regulations shall be used. Added colour shall not be permitted.

(3) Hygiene

The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines specified in Schedule 4, Part-II of the Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 and any other guidelines as provided from time to time under the Act.

(4) Contaminants, Toxins and Residues

The product covered in this standard shall comply with the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011.

The product covered in this standard shall confirm to the microbiological requirements specified in Appendix B of these regulations.

(5) Packaging and Labelling

The product shall comply with the packaging and labelling requirements specified in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011";

- (b) for sub-regulation 2.8.8, the following shall be substituted, namely;-
- "2.8.8: Sodium Saccharin (Food Grade)-
 - (1) Sodium Saccharinis white crystals or white crystalline powder. It is odour less or having a faint odour. It is intensely sweet to taste, even in dilute solution. 1 g is soluble in 1.5 ml of water and in about 50 ml of alcohol. When tested in accordance with method specified in Indian Standard, IS 5345, it shall conform to the following standards:

Sl. No.	Characteristics	Permissible limit
1	Purity as $C_7H_4NNaO_3S$, after drying at 120°C for 4 h, per cent. by mass, min	99.0
2	Moisture, per cent. by mass, Max	15.0
3	Acidity and alkalinity	To pass the test
4	Benzoate and salicylate	To pass the test
5	Readily carbonizable substances	To pass the test
6	Toluene sulfonamides, ppm, Max	25.0

(2) Hygiene

The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines specified in Schedule 4, Part-II of the Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 and any other guidelines as provided from time to time under the Act.

(3) Contaminants, Toxins and Residues

The product covered in this standard shall comply with the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011.

The products covered in this standard shall confirm to the microbiological requirements specified in Appendix B of these regulations.

(4) Packaging and Labelling

The product shall comply with the packaging and labelling requirements as specified in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011."

(c) after sub-regulation 2.8.11, the following sub-regulation shall be inserted, namely;-

"2.8.12: Calcium Saccharin (Food Grade)-

(1) Calcium Saccharin is white crystals or white crystalline powder. It shall be odourless or having a faint odour and an intensely sweet taste even in dilute solution. One gram is soluble in 1.5 ml of water. When tested in accordance with method specified in Indian Standard, IS 5345, it shall conform to the following standards:

Sl. No.	Characteristics	Permissible limit
1	Purity as $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$, on dry basis, per cent. by mass, Min	99.0
2	Moisture, per cent. by mass, Max	15.0
3	Benzoate and salicylate	To pass the test
4	Readily carbonizable substances	To pass the test
5	Toluene sulfonamides, ppm, Max	25.0

(2) Hygiene

The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines specified in Schedule 4, Part-II of the Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 and any other guidelines as provided from time to time under the Act.

(3) Contaminants, Toxins and Residues

The product covered in this standard shall comply with the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011.

The products covered in this standard shall confirm to the microbiological requirements specified in Appendix B of these regulations.

(4) Packaging and Labelling

The product shall comply with the packaging and labelling requirements specified in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./27/18]

Note. – The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* the notification numbers:

- (I) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- (II) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- (III) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- (IV) F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- (V) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- (VI) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- (VII) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (VIII) F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (IX) F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- (X) F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- (XI) F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- (XII) F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- (XIII) F.No. 3-16/Specified Foods/Notiifcation(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- (XIV) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- (XV) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- (XVI) F.No. 1-12/Stnadards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- (XVII) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- (XVIII) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- (XIX) F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- (XX) F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- (XXI) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- (XXII) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- (XXIII) F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- (XXIV) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- (XXV) F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- (XXVI) F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- (XXVII) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- (XXVIII) F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- (XXIX) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- (XXX) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- (XXXI) F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- (XXXII) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;

(XXXIII) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;

(XXXIV) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;

(XXXV) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;

(XXXVI) F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;

(XXXVII) File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;

(XXXVIII) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;

(XXXIX) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;

(XL) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated 24th October, 2017;

(XLI) F.No. A-1/Stadnards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;

(XLII) F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated the 17th November, 2017;

(XLIII) F.No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated the 20th February, 2018;

(XLIV) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated the 13th March, 2018;

(XLV) F.No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated the 13th March, 2018 and

(XLVI) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018.